न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.

दिनांक 12–11–2018

प्रकरण संख्या–21 / 2018 प्रा0प0

उनवान

1. चंपा पिता चतरभुज मेघवाल वयस्क निवासी सादलखेडा तहसील भदेसर

.............प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौडगढ

...........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थित– जाहिद रजा वकील प्रार्थी

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि प्रार्थी के आधिपत्य उपयोग उपभोग एवं खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम नपावली पटवार हल्का नपावली तहसील भदेसर में स्थित है जिसके साबिक खाता संख्या नयं 79 पुरानें 01 में अंकित आराजी नम्बर 274 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है जिस वर्तमान में सेटलमेन्ट होने से नई खाता संख्या 312 में अंकित नये आराजी नम्बर 415 किता 1 कुल रकबा 0.87 हैक्टैयर दर्ज रेकार्ड है । साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 एवं संवत् 2072 से 2075 व मिलान क्षेत्रफल ए संलग्न है ।

2. यह कि प्रार्थी एवं उनके भाई [illegible] हिस्से पर हाल आराजी नम्बर 415 रकबा 0.87 हैक्टैयर भूमि [illegible] है लेकिन हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.15 16:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner

ही में हुए सेटलमेन्ट से भू प्रबन्ध के कर्मचारियों ने प्रार्थी की उक्त खातेदारी की आराजीयात को राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी अंकित कर दिया है जो गलत है जबकि प्रार्थी के नाम साबिक राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त आराजीयात चंपा , छोगा एवं गमना पिता चतरभुज मेघवाल की खातेदारी में दर्ज थी ।

3. यह कि भू प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रार्थी की खातेदारी में परिवर्तित करने का कोई कानून हक व अधिकार नहीं होते हुए भी प्रार्थी की उक्त आराजीयात को गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया है इसलिए राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी उक्त आराजीयात पुनः खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी होने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः प्रार्थना है कि खाता संख्या 312 में अंकित नवीन आराजी नम्बर 415 रकबा 0.87 हैक्टैयर भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज फरमाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी तहसीलदार भदेसर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में राजस्व एवं मौका के आधार पर रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार भदेसर द्वारा अपने पत्र संख्या राजस्व/18/180 दिनांक 26.6.18 से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि मौजा नपावली की जमाबन्दी संवत् 2070–70 के खाता संख्या 79 के खसरा नम्बर 274 रकबा 3.09 बीघा भूमि श्री चम्पा छोगा मगना पिता चतरभुज मेघवाल सा.देह खातेदार दर्ज रेकार्ड थी । भू प्रबन्ध के दौरान नवीन राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी 2072–2075 के खाता संख्या 312 में उक्त साबिक नम्बर को नया खसरा नम्बर 415 रकबा 0.87 हैक्टैयर चम्पा [illegible] पिता चतरभुज मेघवाल सा. सादलखेडा गैर खातेदार दर्ज कर दिया [illegible] है [illegible] उक्त आराजी पुनः प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज की जाने की अनुशंषा की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.15 16:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रार्थना के समर्थन में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम नपावली खाता संख्या 312 संवत् 2072–2075, . जमाबन्दी खाता संख्या 79 संवत 2067–2070 मिलान क्षेत्रफल नक्शा ट्रेस एवं पैराकार सरकार तहसील भदेसर द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया । जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण के पुराने रेकार्ड में आराजी नम्बर 274 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा भूमि खातेदारी हक से दर्ज थी किन्तु भू प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी नम्बर 415 रकबा 0.87 हैक्टैयर भूमि को प्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज कर दिये जाने की त्रृटि कर दी गई है जो जो दुरूस्त किये जाने योग्य पायी जाती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर.0एक्ट में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है कि तथा तहसीलदार भदेसर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नपावली पटवार हल्का नपावली की साबिक खाता संख्या 79 में अंकित आराजी नम्बर 274 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा जिसके भू प्रबन्ध से कायम नवीन खाता संख्या 312 में अंकित नये आराजी नम्बर 415 रकबा 0.87 हैक्टैयर भूमि के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के नाम के साथ दर्ज गैर खातेदार की प्रविष्ठि को विलोपित करते हुए प्रार्थीगण के उक्त आराजीयात खातेदारी हक से शुद्वि से दर्ज रेकार्ड करने का अमल दरामद किया जावे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.15 16:49:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner